न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जायल

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या:– **143/14** दायर दिनांक:– **26.12.2014**

1– घमण्डाराम उर्फ गुमानराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी चावली तह.जायल जिला नागौर के कायम मुकाम।
1/1 भंवरी पुत्री घमण्डाराम जाति जाट निवासी चावली तह. जायल जिला नागौर।
1/2 संतोष पुत्री घमण्डाराम जाति जाट निवासी चावली तह. जायल जिला नागौर।
1/3 छोटी पुत्री घमण्डाराम जाति जाट निवासी चावली तह. जायल जिला नागौर।
2 हडमानराम पुत्र घमण्डाराम जाति जाट निवासी चावली तह. जायल जिला नागौर।
3 सुखाराम पुत्र घमण्डाराम जाति जाट निवासी चावली तह. जायल जिला नागौर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1– ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहामण निवासी चावली तह.जायल जिला नागौर।
2– लक्ष्मीनारायण पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहामण निवासी चावली तह.जायल जिला नागौर।
3– हरिकिशन पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहामण निवासी चावली तह.जायल जिला नागौर।
4– गुलाबीदेवी पत्नि बंशीलाल जाति ब्राहामण निवासी चावली तह.जायल जिला नागौर।
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

..... अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा 251 (क) RT Act.

उपस्थित अधिवक्ता :– 1 श्री बस्तीराम ढाका प्रार्थीगण की और से।
2 श्री मुन्नीलाल कडवासरा अप्रार्थी सं. 01 से 04 की और से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 22.05.18

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम चावली के निवासी है ग्राम चावली के खेत खसरा नम्बर 41 रकबा 84 बीघा 01 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार है। जिस के चिपते ही दक्षिणी दिशा में खेत खसरा नम्बर 40 अप्रार्थीगण का खेत आया हुआ है जिस के दक्षिणी दिशा में कटाणी रास्ता है। मुझे मेरे खेत में आने जाने के लिये संलग्न नजरी

22.5.18

Scanned by CamScanner

नक्शा के मार्क अ से बी के अनुशार चौडाई में 16 फुट के रास्ते की खसरा नम्बर 41 में आने जाने के लिये आवश्यकता है। लेकिन उक्त भूमि में जाने के लिये राजस्व रिकोर्ड में कोई रास्ता अंकन नहीं होने से काश्त करने में भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। अप्रार्थी का उक्त रास्ते बाबत कहने पर मना करने पर प्रार्थी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। जिस से मुझे यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का तहसीलदार जायल को आदेश प्रदान करावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत नये रास्ते के लिये आवेदन किया जा रहा है। इस भूमि में आने–जाने के लिये मौजा चावली के खसरा नम्बर 40 की पश्चिम माठ पर से नजरी नक्शा में दर्शाये गये मार्क अ से बी पर 16 फुट चोडा नया रास्ता उपलब्ध करवाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रभावित खातेदार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 01 से 04 की ओर से मुन्नीलाल कडवासरा ने वकालतनामा व जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत में रास्ता नहीं लगने की बात गलत लिखी है प्रार्थीगण ने पेरा सं. 01 में उल्लेख किया है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 2 लक्ष्मीनारायण से 10 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 40 के पश्चिम तरफ 80 गटठा लम्बाई व 2.5 गटठा चोडाई का बैचान अप्रार्थीगण के पक्ष में करना लिखा है तथा उक्त जगह पर रास्ता आज भी कायम होना लिखा है, तो खरीदी गयी जमीन के लिये उक्त प्रावधानों के तहत रास्ता घोषित नहीं करवाया जा सकता है एवं खरीदी गयी जमीन के लिये कानून में अलग प्रावधान बने हुए है जिस के तहत प्रार्थीगण खरीदी गयी जमीन अपने नाम करवा सकते है। प्रार्थीगण ने बढा चढाकर बदनियति से प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते के लिये चाही गयी उक्त जायगा प्रार्थीगण के द्वारा पहले से ही दिनांक 23.09.10 को जरिये इकरारनामा से खरीद शुदा जायगा है, खरीदी गयी भूमि को प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के उक्त प्रावधान धारा 251 (क) **RT Act.** के घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा चाही गयी भूमि प्रार्थीगण के द्वारा पहले से ही खरीद शुदा होने से प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमावे।

प्रकरण में तहसीलदार जायल से जाँच रिपोर्ट व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार जायल ने पत्र क्रमांक/भू.अ./2016/2795 दिनांक 29.08.2016 के द्वारा रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। तहसीलदार जायल ने अपनी रिपोर्ट पेशकर न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थीगण को मौजा चावली के खेत खसरा नम्बर 41 में आने जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 40 रकबा 38 बीघा 06 बिस्वा किस्म बा.1 के पश्चिमी माठ पर नजरी नक्शा के मार्क अ से बी तक 16 फुट चोडा रास्ता दिया जाना उचित है जिस का रकबा 10 बिस्वा 10

22.5.18

Scanned by CamScanner

बिस्वांसी बनता है तथा डी.एल.सी रेट से 22320 रू. राशि बनती है खेत खसरा नम्बर 41 प्रार्थी के खेत खसर नम्बर 40 के चिपता ही खेत है इसलिये रास्ता देने की अभिशंषा की जाती है।

बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः प्रार्थना–पत्र पर आधारित रही तथा उन्होंने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र को गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मौजा चावली के खसरा नम्बर 40 रकबा 38 बीघा 06 बिस्वा किस्म बा.1 में से रकबा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी माफिक नजरी नक्शा के मार्क अ से बी के अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है की डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि प्रार्थीगण से जमा लेकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। प्रार्थीगण से ली जाने वाली राशि का भुगतान अप्रार्थी सं. 01 से 04 को बराबर – बराबर हिस्से में करें। तहसीलदार जायल को निर्णय की पलना हेतु तहरीर जारी हो।

22.5.18

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल

निर्णय आज दिनांक 22.5.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

22.5.18

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned by CamScanner